

आरबीटिस्ट
1030 -



आभिषेक अग्रणी संख्या 2 ने जवाब प्रदाना पत्र से अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु सी.मि.ख0न0 104 किस्म ग्री.मि.आबादी से स्थित मकान/भूखण्ड वाक गाम नजीरपुरा से अवाच की गई है। अवाच सी.मि. पर निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे प्लान की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विभाजिकाओं को जिले के

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अग्रणीकरण की गई एवं अवाच प्रजावती तलब की गई। अवाच प्रजावती की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण से उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रदाना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण से गाम नजीरपुरा तहसील जिनयारा की सी.मि.ख0न0 104 किस्म ग्री.मि.आबादी से स्थित मकान/भूखण्ड का मुआवजा विपक्षीकरण द्वारा गलत निर्धारण कर ज़िपरलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रणी अग्रणी सी.मि. पर स्थित मकान/भूखण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रुपये का मुआवजा दिलवाया जावे। अतिकारी है। अतः सरकार सी.मि. पर स्थित परिष्कृतियों का अवाच दिनांक 27.09.2021 को निर्णय कर मकान/भूखण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रुपये का मुआवजा राशि प्राप्त करने का

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

- (1) श्री दीनदरम चौधरी, आभिषेक प्रणी
- (2) श्री खमचन्द शर्मा, आभिषेक अग्रणी संख्या-2

प्रदाना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

अग्रणीकरण

- 1-सक्षम प्राधिकारी सी.मि. अवाच, राष्ट्रीय राजमार्ग सं 148 एन (उपखण्ड अधिकारी)
- उनिचारा जिला टांक राजा
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं 148 एन अवाच माधोपुर।

बनाम

गोरधन पुत्र भागला जाति बैरवा निवासी नजीरपुरा तहसील जिनयारा जिला टांक राजा प्रणी

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक
12/2022
07.02.2022

(टी.ना. डा.बी.आई.0505050 द्वारा अध्यासित)
न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीटिस्ट) टांक



आरबीटीए
सर्वेक्षण संख्या 148
(जिला कलेक्टर) टांक

- 1031 -

प्रार्थी के पास अपने मकान/अखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
दस्तावेजात (पट्टा) नहीं है। प्रार्थी का मकान/अखण्ड पक्का है जिसका मूआवजा
Valuation Report के आधार पर जारी किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व
सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबदा रिपोर्ट मय निर्णय प्रति सक्षम

तहसीलदार (म.अ.) उनीयारा म. अलीगढ़ जिला टांक के इस्तेफार है।
प्र पर सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उषखण्ड अलीगढ़ जिला टांक व
ए.आइ. द्वारा अर्वाइ 1,20,491/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report
INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 1,20,491/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.
परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON
1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story
से है।

मकान/अखण्ड की वीर्यवैधान शीट की सत्यप्रतिनिधि सिलवाइ गई है, जो निम्न प्रकार
पत्र क्रमांक:-एएसडीओ/म.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के
नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वाइ) एवं उषखण्ड अधिकारी उनीयारा के
10,00,000 रुपये बांटा गया है परन्तु उक्त द्वारा इस्की तावद में साक्ष्य-सर्वत प्रस्तुत
गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वाइदा मकान/अखण्ड का मूआवजा बाजार मूल्य की दर से
अधिकतम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अर्वाइ का निर्धारण नियमानुसार किया
गया है, किस्म जमीन म.म.आबादी वाक ग्राम नजीरपुरा का
राजमार्ग संख्या 148 एन उषखण्ड अधिकारी उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/अखण्ड
पञ्चावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वाइ अधिकारी सर्वेक्षण
जाब/वकस का अवलोकन किया तथा पञ्चावली पर उषखण्ड दस्तावेजात अर्वाइ
हमने वकस अभिमाषक प्रार्थी व अभिमाषक अर्वाइ संख्या-2 सेनी।

प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
द्वारा समूह तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अर्वाइ जारी किया है जो उचित है। अतः
अधिकत एम। प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का मूआवजा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी
विभाग द्वारा समुच्च (वेट) किया गया। जमीन की किस्म म.म.आबादी राजस्व रिपोर्ट से
तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण
से पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बसिक डिजाइनिंग ऑफ वेट) के आधार पर स्वतंत्र
सर्व एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध
आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पट्टाएँ एवं निरदावत सहीत
आदि का सर्व कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का
मूआवजा शीटों के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाइ भूमियाँ एवं निर्माण
से केन्द्र सरकार से निहित हो गई। अर्वाइ शीटों में स्थित संरचनाओं/निर्माण की
गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अधिनियम रूप
भूमि अर्वाइ अधिकारी द्वारा संबंधित डिजाइनिंग रिपोर्टों के हक में अर्वाइ पारित किया
की गई उक्त विधि के प्राधान्य के अर्वाइ निरक्षण किचे जाने के उपरान्त सक्षम
आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत
3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थना को 3 सी के अन्तर्गत
प्राधान्य के अर्वाइ पारित किया गया है। अर्वाइ भूमि का अधिनियम की धारा



ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ
ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ
(ಲೆ.ನಾ.ಜಿ.ಬಿ.)
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೆ.ನಾ.ಜಿ.ಬಿ.)
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜು

ನಿರ್ಮಲಾ ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ-148/ಎಂ